न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः— सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्याः— 219/2023 (75 एल.आर.एक्ट अधिनियम 1956) (RCMS No.2023/239)

आम जनता ग्राम पाडली तहसील सवाई माधोपुर जरियेः—

1. रामावतार पुत्र जन्सी बैरवा
2. पून्या पुत्र सोन्रू बैरवा
3. बुद्धिप्रकाश पुत्र रामचन्द्रा बैरवा
4. कान्ता प्रसाद पुत्र रूपनारायण ब्राहम्ण
5. पृथ्वीराज पुत्र बजरंगा मीना
6. परमेश्वर पुत्र बजरंगा मीना
7. शम्भूदयाल पुत्र राजाराम मीना
8. सूरजमल पुत्र कजोड जागा
9. धनराज पुत्र प्रभू जागा
10. हंसराज पुत्र प्रहलाद जागा
11. हरकेश पुत्र हरिराम मीना
12. जगदीश पुत्र प्रभू जागा
13. नरेश पुत्र राधेश्याम नाथ समस्त निवासी पाडली तहसील व जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

हनुमान पुत्र शंकर लाल जाति ब्राहम्ण निवासी पाडली तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर निर्णय दिनांक 01.10.2019 बमुकदमा निगरानी संख्या 23/16 उनवानी आम जनता ग्राम पाडली बनाम हनुमान वगैरहा एवं आवंटन आदेश दिनांक 26.06.65 तहसीलदार सवाई माधोपुर आवंटन वहक हनुमान पुत्र शंकरलाल ब्राहम्ण ग्राम पाडली तहसील सवाई माधोपुर।

उपस्थितिः—

श्री जगदीश प्रसाद शर्मा वकील अपीलान्ट।

श्री भोलाशंकर शर्मा वकील रैस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः 28.12.2023

उक्त अपील एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 01.10.2019 व तहसीलदार सवाई माधोपुर के आवंटन आदेश दिनांक 26.06.65 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि आम जनता ग्राम पाडली की ओर से कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत रैस्पो0 संख्या 1 को तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा खसरा नंबर 319 मिन रकबा 5 बीघा के आवंटन आदेश दिनांक 26.06.65 के विरूद्ध आवंटन निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। उक्त प्रार्थना पत्र के बाद कार्यवाही जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा आदेश दिनांक 01.10.2019 के

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

द्वारा खारिज किये जाने पर उक्त आदेश के विरूद्ध एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 75 के तहत अदालत हाजा में अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पों. की तलबी जरिये समन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली तलब की गई। रैस्पों0 संख्या 1 की ओर से श्री भोलाशंकर शर्मा एडवोकेट उपस्थित हुए। उभयपक्षकारान की अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.10.2019 विधिविरूद्ध तथा रिकार्ड व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व इस बिन्दु पर गौर नहीं किया कि तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा रैस्पों0 संख्या 1 को खसरा नंबर 319 रकबा 5 बीघा ग्राम पाडली में जो आवंटन किया गया है उस भूमि पर रैस्पों0 संख्या 1 का कभी भी भौतिक कब्जाकाश्त नही रहा। रैस्पों0 संख्या 1 को तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से आवंटित भूमि सार्वजनिक हित की भूमि है उक्त भूमि आम जनता के खलिहान एवं स्कूल के खेल मैदान के उपयोग में आ रही है। जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का द्वारा अदालत मातहत में प्रस्तुत की गयी मौका रिपोर्ट दिनांक 30.01.2019 से भली–भांति हो रही है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि जमाबन्दी संवत् 2042–45 तक में रैस्पों0 संख्या 1 को आवंटित की गयी भूमि का जमाबन्दी में इन्द्राज नहीं था। रैस्पों0 संख्या 1 ने भू–प्रबंन्ध विभाग के कर्मचारियों से साजिश कर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम इन्द्राज इसके बाद में करवाया है। इससे पूर्व रैस्पों के नाम किसी तरह की खसरा गिरदावरी में ही इन्द्राज नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व न तो तहसील की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया और न ही उपरोक्त तथ्यों के बारे में ही कोई विचार किया। विवादित भूमि अपीलान्ट के सार्वजनिक हित की भूमि होने एवं स्कूल के बच्चों के खेल मैदान के रूप में काम में आने के कारण रैस्पों0 के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाना आवश्यक था परन्तु अदालत मातहत में इस बिन्दु पर गौर नहीं कर आम जनता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मनमाने तरीके से खारिज करने का आदेश पारित किया है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि तहसील कार्यालय में रैस्पों0 संख्या 1 के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 26.06.65 की कोई पत्रावली उपलब्ध नही है और न ही रैस्पोडेन्ट की ओर से आवंटन हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र की प्रति ही उपलब्ध है। इस आधार पर भी रैस्पों0 के पक्ष में किया गया विवादग्रस्त आवंटन स्वतः ही निरस्त होने की श्रेणी में आ जाता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर सवाई माधोपुर का अपीलाधन आदेश दिनांक 01.10.2019 एवं विवादग्रस्त आवंटन आदेश दिनांक 26.06.65 को अपास्त कर रैस्पों0 संख्या 1 के नाम दर्ज खसरा नम्बर 753 रकबा 0.42 है0, खसरा नंबर 754 रकबा 0.51 है0, खसरा नंबर 755 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 774/1165 रकबर 0.18 है0 खसरा नंबर

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

777/1166 रकबा 0.14 है0 कुल किता 5 रकबा 1.26 है0 राजस्व ग्राम पाडली में अंकित है, को सार्वजनिक सिवायचक दर्ज किये जाने का आदेश दिया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए वकील रैस्पों0 ने तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.10.2019 रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित है जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है। रैस्पों0 संख्या 1 को तहसीलदार द्वारा नियमानुसार कृषि भूमि का आवंटन किया गया है तथा विधिवत कब्जा संभलाया गया था। आवंटित भूमि पर रैस्पों0 के पिता व रैस्पों0 का आवंटन के समय से ही कब्जाकाश्त चला आ रहा है। जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि रैस्पों0 के अलावा अन्य 17 काश्तकारों को भी उक्त खसरा नंबर में से दिनांक 26.06.65 को कृषि भूमि का आवंटन किया गया था जो नियमविरूद्ध नहीं है। आम जनता की ओर से ही जिला कलक्टर सवाई माधोपुर न्यायालय में रैस्पों0 के पिता के पक्ष में खोले गये नामान्तरकरण संख्या 232 दिनांक 04.04.2008 के विरूद्ध अपील संख्या 19/12 पउनवानी आम जनता ग्राम पाडली बनाम हनुमान वगैरहा के नाम से पेश की थी जिसको जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा निर्णय दिनांक 19.01.2016 के द्वारा खारिज किया गया था। इसके बाबजूद अपीलान्ट की ओर से जिला कलक्टर न्यायालय में आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे जिला कलक्टर द्वारा नियमानुसार खारिज किया गया है। जिला कलक्टर ने निर्णय दिनांक 01.10.2019 में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण यह सिद्ध नहीं कर पाये कि अप्रार्थी के पिता को किया गया आवंटन मिथ्या कथन या छलपूर्वक कराया गया आवंटन हो। इसके अलावा आवंटित भूमि पर रैस्पों0 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के कारण आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। वकील अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि रैस्पों0 के पिता द्वारा भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों से मिल्लत कर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज कराया है जबकि वास्तविकता यह है कि रैस्पों0 के पिता को विवादित भूमि का आवंटन होने के बाद उक्त भूमि का कब्जा संभलाया गया है तथा गैर खातेदारी दी गई तथा आवंटन शर्तों की पालना करने के बाद नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं। अपीलान्ट का उक्त प्रकरण में कोई लोकसस्टेण्डाई नहीं होने के बाबजूद भी उक्त अपील रैस्पों0 को परेशान करने की नीयत से की गई है। जहां तक पटवारी हल्का की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का प्रश्न है तो इसमें भी यह कही उल्लेख नहीं है कि आवंटित भूमि पर रैस्पों0 के पिता का कब्जा नहीं रहा हो। पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि जमाबन्दी संवत् 2070–73 वाके ग्राम पाडली में खसरा नंबर 753, 754, 755, 774/1165 व 777/1166 कुल किता 5 रकबा 1.26 है0 हनुमान पुत्र शंकरलाल के नाम खातेदारी है। वर्तमान में खसरा नंबर 753 व 754 पडत है। खसरा नंबर 755 में गैरमुमकिन चाह है। खसरा नंबर 774/1165 व 777/1166 पर गेहूं की फसल खडी है। किसी

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर
संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

वर्ष विशेष में भूमि पडत रहने के आधार पर ही यह नहीं माना जा सकता कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। उक्त रिपोर्ट में यह कही उल्लेख नहीं है कि रैस्पों0 को आवंटित भूमि विद्यालय के खेल मैदान या गांव के खलिहान हेतु काम में ली जा रही हो। जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा उभयपक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद पारित किया गया है जो कि स्पष्ट व स्पीकिंग है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.10.2019 यथावत रखा जावे।

रिव्यूटल में पुनः वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि आम जनता की ओर से जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील पेश की गई थी। उक्त अपील के निर्णय में जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा यह उल्लेख किया गया था अपीलान्ट की ओर से रैस्पों के पिता के पक्ष में किये गये आवंटन को सक्षम न्यायालय में चेलेंज नही किया गया था इसलिए आवंटन नियम 14(4) के तहत जिला कलक्टर न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। चूंकि रैस्पों0 के पिता को आवंटित भूमि सार्वजनिक उपयोग के काम में आ रही है तथा रैस्पों0 के पिता व रैस्पों0 द्वारा आवंटन शर्तों की पालना भी नहीं की गई है इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर रैस्पों0 के पिता के पक्ष में तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से किया गया आवंटन दिनांक 26.06.65 निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोंडेन्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में रैस्पों0 के पिता के पक्ष में तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा किये गये आवंटन दिनांक 26.06.65 को निरस्त किये जाने बाबत् आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत इस आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था कि तहसीलदार सवाई माधोपुर का बिना उद्घोषणा के आवंटन किया गया है, रैस्पों0 के पिता ने भू–प्रबन्ध विभाग से साजिश कर अपने नाम खातेदारी दर्ज करायी है, आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई तथा रैस्पों0 संख्या 1 के पिता को आवंटित भूमि ग्रामवासियों के खलिहान व विद्यालय के खेल–मैदान हेतु काम में ली जा रही है। जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.10.2019 में अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस का विस्तृत उल्लेख करते हुए यह माना है कि वकील प्रार्थीगण द्वारा आवंटी को उक्त भूमि का आवंटन विधिविरूद्ध तरीके से किये जाने बाबत् किये गये कथन के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य या सबूत पेश नहीं किया गया जिसके आधार पर उनके कथन की पुष्टि होती हो। इसी प्रकार यह कथन कि बिना आवंटन आदेश के अप्रार्थी के पिता को भूमि–आवंटित की गई है, को भी इस आधार पर सही नहीं माना है कि अप्रार्थी के पिता के अलावा अन्य 17 काश्तकारों को भी उक्त खसरा नंबर में से दिनांक 26.06.65 को कृषि भूमि का आवंटन किया गया है जो नियमविरूद्ध नहीं हो सकता है। अप्रार्थी के पिता को किया

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

गया आवंटन मिथ्याकथन, छलपूर्वक किया गया हो। इस तथ्य को भी अपीलान्ट सिद्ध नहीं कर पाये। रैस्पों0 के पिता को आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के कारण इतने समय बाद आवंटन निरस्त नहीं किये जा सकने का उल्लेख अपीलाधीन निर्णय में किया है। विद्वान जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के उक्त अभिमत से हम सहमत है क्योंकि रैस्पों0 के पिता के पक्ष में तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से दिनांक 26.06.65 को खसरा नंबर 319 रकबा 5 बीघा का आवंटन किया गया है। जिसके खातेदारी अधिकार रैस्पों0 के पिता को पूर्व में प्राप्त हो चुके थे। जिसकी पुष्टि तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को भिजवायी गयी रिपोर्ट दिनांक 04.02.2019 के साथ संलग्न पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 30.01.2019 से भली–भांति हो रही है। अपीलान्ट के पिता को आवंटित भूमि ग्रामवासियों के खलिहान के काम में आने या विद्यालय के खेल–मैदान हेतु काम में आने के संबंध में मौखिक बहस के अलावा किसी तरह का कोई दस्तावेजी साक्ष्य न तो अदालत मातहत में और न ही अदालत हाजा में अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत किया गया है। चूंकि रैस्पों0 के पिता को आवंटित भूमि की खातेदारी पूर्व में ही प्राप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं रहता है। रैस्पों0 के पिता के पक्ष में तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से दिनांक 26.06.65 को किया गया आवंटन मिथ्याकथन या छलपूर्वक किया गया हो। इस तरह का भी कोई दस्तावेज अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में पेश नहीं किया गया है। जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.10.2019 स्पीकिंग व स्पष्ट होने के कारण इस निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नही मानते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.10.2019 व तहसीलदार सवाई माधोपुर की आरे से पारित आवंटन आदेश दिनांक 26.06.65 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 28.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर